सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-571 राँची, मंगलवार, 23 नवम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 अक्टूबर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-90/2019-17896 (HRMS)--श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी, गुमला के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2595, दिनांक 14.10.2019 के माध्यम से उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-359, दिनांक 18.09.2019 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्री अग्रवाल के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

(i) मनरेगा अन्तर्गत परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखण्ड के ग्राम-बड़काडीह, पंचायत गोविन्दपुर में पपरापानी से बागबोरा तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण (2 KM) की जाँच में पाया गया कि वास्तविक मापी एवं मापी पुस्तिका द्वारा किये गये भुगतान में 85,698.00 रूपये की अंतर पायी गई।

(ii) उल्लेखित योजना में हुए अवैध निकासी में तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी श्री केवल कृष्ण अग्रवाल को दोषी ठहराया गया है ।

उल्लेखित योजना में हुए अवैध निकासी (वास्तविक मापी एवं मापी पुस्तिका द्वारा किये गये भुगतान में 85,698.00 रूपये राशि का अंतर) में श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी की निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही उजागर होती है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9343, दिनांक 25.11.2019 द्वारा श्री अग्रवाल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-1021/नजा०, दिनांक 09.12.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

"परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखण्ड के ग्राम बड़काडीह, पंचायत गोविन्दपुर में पपरापानी से बागबोरा तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में कार्य का प्रारंभ एक ही स्थान से दो दिशाओं में किया गया, जिसमें एक दिशा में 225 मी० तथा दूसरी दिशा में 300 मी० लम्बाई पथ का निर्माण किया गया था। एक दिशा में पथ निर्माण 225 मी० किये जाने के पश्चात् पहाड़ के बगल से कार्य करने में मजदूरों को कठिनाई हो रही थी, इसलिए उस दिशा में कार्य बंद कर दूसरी दिशा में कार्य को प्रारंभ किया गया । जाँच दल ने सिर्फ 300 मी० (948 फीट) की मापी को सही माना तथा शेष 225 मी० (738 फीट) की लम्बाई में बने 22 फीट चौड़ाई एवं 3 फीट मोटाई के पथ पर हुए व्यय पर विचार नहीं किया गया, जिसके कारण योजना में 85,698.00 रूपये का अतिरिक्त व्यय का मामला परलिक्षित हो रहा है। इस योजना में तकनीकी स्वीकृति से पूर्व अभियंता द्वारा स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया, ऐसा जाँच दल ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है। उनका कहना है कि उस अवधि में इनका पदस्थापन परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखण्ड में नहीं था। ग्राम बड़काडीह, पंचायत गोविन्दपुर में पपरापानी से बागबोरा तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण (लम्बाई 2.00 कि०मी०) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति उप विकास आयुक्त, गुमला द्वारा इनके पदस्थापन के पूर्व दी गयी थी। साथ ही इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत स्तर से किया जा रहा था। योजना में भुगतान कनीय अभियंता द्वारा मापीपुस्त अंकित करने के पश्चात् ही मजदूरों के खातों में किया गया है। मस्टर रॉल पर यह प्रमाण पत्र भी अंकित है कि "योजना में कार्यरत सभी मजदूर सही है और फर्जी पाए जाने पर सारी जवाबदेही उनकी होगी" यह सत्यापन योजना के मेट, ग्राम रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव द्वारा अंकित किया गया है ।"

श्री अग्रवाल के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-274, दिनांक 16.01.2020 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-120(ii)/स्था०, दिनांक 06.02.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें कहा गया कि श्री अग्रवाल के द्वारा समय पर योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण योजना पर कार्य से अधिक भुगतान किया गया। अतः श्री अग्रवाल का स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है ।

श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री अग्रवाल के विरूद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-2490, दिनांक 02.06.2021 द्वारा श्री अग्रवाल से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई ।

श्री अग्रवाल के पत्रांक-310, दिनांक 15.06.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

"परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखण्ड अत्यंत ही दूर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। पपरापानी से बागबोरा तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में पंचायत द्वारा कार्य उस अवधि में कराया गया जब

झारखण्ड त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2015 का कार्य प्रगति पर था। श्री अग्रवाल प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में वार्ड सदस्य एवं मुखिया पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी प्रतिनियुक्त थे। मतदाता सूची को विखण्डित कर वार्डवार मतदाता सूची तैयार की जा रही थी। इसके पश्चात अधिसूचना संख्या-2554, दिनांक 08.10.2015 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2015 अधिसूचना जारी कर दी गयी। निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, निर्देशन पत्रों की संविक्षा करना, अभ्यर्थिता वापस लेना, निर्वाचन प्रतीक आवंटित करना, बैलेट पेपर का मुद्रण कराना, मतदान एवं मतगणना कराने जैसे सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन इनके द्वारा समयानुसार किया गया ।

परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखण्ड अत्यधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं वर्ष 2015 में अति संवेदनशील रहा। इन गतिविधियों से परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी एवं चैनपुर प्रखण्ड लगातार प्रभावित रहा। 10 जून, 2015 को पुलिस एवं माओवादी मुठभेड़ में एक ग्रामीण क्रिष्टोफर गिद्ध (उम्र-35) की गोली लगने से मृत्यु हो गयी। 12 जून, 2015 को सुरक्षाबलों द्वारा छापेमारी के दौरान 100 कि०ग्रा० विस्फोटक बरामद किया गया। 15 जून, 2015 को पुलिस द्वारा 03 PLFI के नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 17 जून, 2015 को 21 IED बम पुलिस द्वारा महुआटोली जंगल से बरामद किए गए। 21 जून, 2015 को एक संदिग्ध माओवादी अरविन्द गोप को नरकेला के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। 25 जुलाई, 2015 को माओवादी जोनल कमांडर (सरकार द्वारा घोषित 15 लाख का इनामी) सिल्वेस्टर मिंज सुरक्षाबलों द्वारा कुरूमगढ़ के जंगलों में मार गिराया गया एवं उसके कुछ साथी भी गिरफ्तार किए गए। इस घटना के विरोध में 06 अग्रस्त को माओवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड बंद का आह्वान भी किया गया। इस प्रकार की घटनाओं के कारण प्रखण्ड क्षेत्र का सारा इलाका काफी संवेदनशील बना रहा। इन परिस्थितियों के बावजूद पदस्थापन के दौरान इनके द्वारा प्रखण्ड के सभी 51 गाँवों का निरंतर भ्रमण किया जाता रहा एवं योजनाओं का निरीक्षण भी किया गया। इस क्रम में पपरापानी से बागबोरा तक मिट्टी मोरम योजना के निरीक्षण में थोड़ा विलम्ब हो गया, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मामले का निष्पादन की जाय ।"

श्री अग्रवाल के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') में प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण, उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

"श्री अग्रवाल के विरूद्ध गठित आरोप, इनके स्पष्टीकरण, उपायुक्त, गुमला के मंतव्य एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित योजना में वास्तविक कार्य से लगभग 85,698.00 रूपये अधिक खर्च हुआ है। जाँच दल द्वारा अपने समीक्षा रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है कि पपरापानी से बागबोरा तक (2.0 कि०मी०) मिट्टी मोरम पथ एक ही स्थान से दो दिशा में बनाया गया है। एक की लम्बाई 225 मीटर और दूसरे की लम्बाई 300 मीटर पाया गया। पथ का कार्य शुरू कर 225 मीटर तक बनाया गया फिर उसके बाद उसे बंद कर दिया और पुनः उसी स्थान से दूसरा पथ का कार्य (अन्य दिशा से होते हुए बागबोरा तक जाने की दिशा में) किया, जिसकी लम्बाई 300 मीटर पायी गयी। पथ का कार्य पहाड़ के बगल से कराया जा रहा था, जिसके कारण मजदूरों को कार्य करने में कठिनाई हो रही थी एवं समय भी अधिक लग रहा था। इसलिए इसे बंद कर दूसरे स्थान से पथ का निमार्ण कार्य आरंभ किया गया। चूँकि पथ का कार्य 225 मीटर तक होने के बाद बंद किया गया, इससे ज्ञात होता है कि योजना का कार्य आरंभ होने के पहले या तकनीकी

स्वीकृति प्रदान करने से पहले अभियंता द्वारा योजना स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया था। यदि ऐसा किया जाता तो सरकारी पैसे का दुरूपयोग नहीं होता। इस पर श्री अग्रवाल द्वारा भी कहा गया है कि जाँच दल ने सिर्फ 300 मी० (948 फीट) की मापी को सही माना तथा शेष 225 मी० (738 फीट) की लम्बाई में बने 22 फीट चौड़ाई एवं 3 फीट मोटाई के पथ पर हुए व्यय पर विचार नहीं किया गया, जिसके कारण योजना में 85,698.00 रूपये का अतिरिक्त व्यय का मामला परलिक्षित हो रहा है। पंचायत कर्मियों द्वारा इस अतिरेक व्यय की राशि को भी प्रखण्ड नजारत में जमा करा दिया गया है। उपायुक्त, गुमला द्वारा भी अपने मंतव्य कहा गया है कि श्री अग्रवाल के द्वारा समय पर योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण योजना पर कार्य से अधिक भुगतान किया गया, जिसे श्री अग्रवाल द्वारा भी अपने द्वितीय कारण पृच्छा में स्वीकार किया गया है कि पथ निर्माण योजना का कार्य पंचायत द्वारा उस अवधि में कराया गया जब झारखण्ड त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2015 का कार्य प्रगति पर था। ये प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में वार्ड सदस्य एवं मुखिया पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी प्रतिनियुक्त थे। निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, निर्देशन पत्रों की संविक्षा करना, अभ्यर्थिता वापस लेना, निर्वाचन प्रतीक आवंटित करना, बैलेट पेपर का मुद्रण कराना, मतदान एवं मतगणना कराने जैसे सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के कारण तथा परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी प्रखण्ड अत्यधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं अति संवेदनशील रहने के कारण पपरापानी से बागबोरा तक मिट्टी मोरम योजना के निरीक्षण में थोड़ा विलम्ब हुआ है ।"

अतः समीक्षोपरांत, श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी, गुमला द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण में लापरवाही बरतने के लिए उन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी संसूचित करते हुए इस मामले को निष्पादित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KEWAL KRISHNA AGRAWAL 110041163127	श्री केवल कृष्ण अग्रवाल, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी, गुमला को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी संसूचित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 571 -- 50